

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda India's International Bank — 119 Foundation Year

इंदिरापुरम गाजियाबाद शाखा,
प्लॉट नं. 69, अहिंसा खंड-II, इंदिरापुरम,
गाजियाबाद-201014
ईमेलः vjghin@bankofbaroda.bank.in

उधारकर्ता को सूचना — दिनांकः 17-10-2026

(सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत)

सेवा में
श्री राजेश कुमार सागर और श्रीमती किरण सागर फ्लैट नं एच. 230ए, सेक्टर 1, प्रताप विहार, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201009
श्री राजेश कुमार सागर और श्रीमती किरण सागर ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं एच–13बी, दूसरी मंजिल, प्रताप विहार, सेक्टर–11, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201009

महोदय,

विषयः हमारी इंदिरापुरम गाजियाबाद शाखा के साथ ऋण सुविधाएं।

1. हम अपने पत्र संख्या दिनांक 08/09/2020 का संदर्भ देते हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न ऋण सुविधाओं की स्वीकृति तथा स्वीकृति की शर्तों से अवगत कराया गया था। उक्त स्वीकृति के अनुसरण में आपने उक्त ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है और उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात उनका उपयोग प्रारंभ कर दिया है, जैसा कि आगे बताया गया है। विभिन्न ऋण/क्रेडिट सुविधा खातों में वर्तमान बकाया राशि तथा ऐसी देयता के लिए सृजित प्रतिभूति हित निम्नानुसार हैं:

सुविधा की प्रकृति और प्रकार	सीमा रूप्यें	ब्याज दर	07/09/2026 तक (समावेशी) बकाया, जिसमें 07.09.2026 तक का ब्याज शामिल है। आगे का ब्याज 08.09.2026 से प्रभावी होगा)	प्रतिभूतियों के संक्षिप्त विवरण सहित सुरक्षा समझौता
बड़ौदा होम लोन–बड़ौदा टॉप अप लोन 77460600000660	रूप्ये 7.00 लाख	9.00%	रु. 5,35,456.41 /– (पाँच लाख पैंतीस हजार चार सौ छप्पन रुपये और इकतालीस पैसे)	**संपत्ति का बंधक** पताः ईडब्ल्यूएस फ्लैट संख्या एच–13बी, दूसरी मंजिल, प्रताप विहार, सेक्टर–11, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201009

2. दिनांक 01–07–2024 के ऋण की देयता की स्वीकृति पत्र में आपने बैंक के प्रति अपनी देयता रु.10,468.00 और रु.6,05,614.00/– (जिसमें उस पर ब्याज भी शामिल है) स्वीकार की है।
3. जैसा कि आप जानते हैं, आपने सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त ऋणों/बकाया राशियों पर ब्याज के भुगतान में चूक की है। आपने सावधि ऋण/मांग ऋण की उन किस्तों के भुगतान में भी चूक की है, जो दिनांक 08–09–2026 और उसके बाद भुगतान हेतु देय हो गई थीं।
4. आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार आपका ऋण खाता दिनांक 08/09/2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारे बार–बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने ब्याज सहित अतिदेय ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं किया है।
5. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित विभिन्न प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत सुरक्षित ऋण सुविधाओं के संबंध में अपनी देनदारियों को पूरा करने में आपकी असमर्थता तथा आपके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने को ध्यान में रखते हुए, हम एतद्वारा आपको प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के अंतर्गत नोटिस देते हैं और आपसे बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पूर्ण भुगतान एवं निर्वहन करने की मांग करते हैं। जिसकी कुल राशि **रु. 5,35,456.41/– (पांच लाख पैंतीस हजार चार सौ छप्पन रुपये और इकतालीस पैसे)** ब्याज अन्य बैंक बकाया, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में बताया गया है, इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। हम आपको आगे यह नोटिस भी देते हैं कि यदि आप भुगतान की तारीख तक ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो हमें उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी, कृपया इसे नोट कर लें।
6. कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक ऋण सुविधा के लिए उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट दरों पर पूर्ण भुगतान होने तक ब्याज अर्जित होता रहेगा।
7. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की उप–धारा 13 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी माध्यम से (व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए जाने वाले लेन–देन को छोड़कर) हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) में निहित उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करना, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
8. हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) की ओर भी आकर्षित करते हैं, जिसके प्रावधानों के अनुसार आप सुरक्षित परिसंपत्तियों को इस शर्त पर छुड़ा सकते हैं कि बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों, प्रभारों एवं व्ययों सहित बकाया राशि का भुगतान आपके द्वारा सार्वजनिक नीलामी हेतु नोटिस प्रकाशित होने/कोटेशन आमंत्रित करनेधनिविदाधनिजी समझौते की तिथि से पूर्व किसी भी समय कर दिया जाए। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्तानुसार नोटिस प्रकाशित होने के बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं रहेगा।
9. कृपया ध्यान दें कि यह मांग नोटिस हमारे किसी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया गया है और इसे ऐसे किसी भी अधिकार या उपाय का परित्याग नहीं माना जाएगा, जिसमें हमें देय राशियों के संबंध में आगे मांग करने का अधिकार भी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदिरापुरम गाजियाबाद

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखा : पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड

परिशिष्ट IV [नियम–8(1)], कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/ सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद्द्वारा ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा** निम्न वर्णित दिनांक को ले लिया है। ऋणी/ सह–ऋणी/ बंधककर्ता/ गारन्टर को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये इंडियन बैंक के प्रभारों के अधीन होगा। ''उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जे सूचना की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	**ऋणी** : स्वर्गीय श्री राम सिंह वाल्दिया अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से श्री मोहित वल्दिया पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह वल्दिया, श्रीमती भागीरथी वल्दिया पत्नी स्वर्गीय श्री राम सिंह वल्दिया और श्रीमती जानकी पत्नी स्वर्गीय श्री दीवान सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिंह वल्दिया, **निवासी**– महार खोला, मर्सोली भट्ट, पिथोरागढ़–262530, **गारंटर/ बंधककर्ता**: श्री राजेंद्र सिंह रावल पुत्र श्री केसर सिंह, **निवासी**–ग्राम ऐंचोली निकट वन चौकी पिथौरागढ–262530। **गारंटर**: श्री आन सिंह मेहता पुत्र श्री उम्मेद सिंह, **निवासी**– ग्राम सीरकांडा पो.गुरना पिथोरागढ–262529	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखण्ड जिसका खाता संख्या 00054, बसरा संख्या 878, खेत संख्या 1489, 1490, 1491 एम, जो ग्राम ऐंचोली पट्टी, पौन पिथौरागढ़ में स्थित है। जो श्री राजेंद्र सिंह रावत श्री केसर सिंह के नाम पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 98.49 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**:–**पूर्व**–मोहन सिंह की खाली भूमि, **पश्चिम**–रास्ता, **उत्तर**–श्री मोहन सिंह की खाली जमीन, **दक्षिण**–पांडे जी की भूमि व इमारत।	**18.07.2026**	**26.10.2026**	रू0 15,06,217/– (रूपये पन्द्रह लाख छः हजार, दो सौ सत्तरा) और उस पर ब्याज

दिनांक– 31.10.2026 **स्थान– पिथौरागढ** **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

SBI भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा–I,
प्रथम तल, 23, नजफगढ रोड, नई दिल्ली–110015, फोनः 25419177, 25412977 ई–मेलः sbi.05169@sbi.co.in

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

एतद्द्वारा एक नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणी से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक कर चुके हैं और ऋणों को गैर–निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया गया है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	संपत्तियों का विवरण / लागू की जाने वाली सुरक्षित संपत्तियों का पता	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि
1	**श्रीमती तनुश्री नागोरी,** फ्लैट नंबर एल–1315, 13वीं मंजिल, फेज–1, आशियाना आंगन, नीमराना, राजस्थान। **श्रीमती तनुश्री नागोरी पत्नी श्री आदित्य शंकर,** बी–106, संस्कृति अपार्टमेंट्स, सेक्टर–43, गोल्ड सूक के पास, गुरुग्राम–122009। **श्रीमती तनुश्री नागोरी,** बी–15–24, शिव मार्ग, बनी पार्क, जयपुर–302016, राजस्थान। **श्रीमती तनुश्री नागोरी, डनहंबी आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,** चौथी मंजिल, टावर बी, पारस ट्विन टावर्स, सेक्टर–54, गुरुग्राम। **मैसर्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के माध्यम से,** नंबर 304, सदर्न पार्क, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017। **मैसर्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड,** अपने प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के माध्यम से, 5F, एवरेस्ट, 46/C, चौरंगी रोड, कोलकाता–700071।	भाग – I (चल संपत्तियों का दृष्टिबंधक) शून्य भाग – II (अचल संपत्तियों का बंधक) फ्लैट नंबर L-1315, 13वीं मंजिल, फेज–1, आशियाना आंगन, नीमराना, गांव मोहलडिया, जिला अलवर–110017 में स्थित संपत्ती, जिसका माप लगभग 1450 वर्ग फुट है।	**14.10.2026** **एनपीए की तिथि 31.03.2018**	**₹ 46,86,634.00** (केवल छियालीस लाख छियासी हजार छह सौ चौंतीस रुपये) **13.10.2026** तक। आप उक्त राशि पर अनुबंध में तय दर से भविष्य का ब्याज, और साथ ही अन्य खर्चों, लागतों व शुल्कों आदि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणी और/या उनके गारंटर (जब भी लागू हो) को एतद्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर अवधि समाप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत इस नोटिस की तारीख से 60 दिन

नोटः सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए सभी पूर्ववर्ती नोटिस इस नोटिस के जारी होने की तिथि से वापस लिए जाते हैं।

दिनांक : 14.10.2026, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड, 2016 की धारा 102 (1) एवं (2) के अंतर्गत)

श्री मिलन अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ देनदार / कॉर्पोरेट देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटर, प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड

प्रासंगिक विवरण

1.	**देनदार/व्यक्तिगत गारंटर का नाम**	**श्री मिलन अग्रवाल**
2.	देनदार / व्यक्तिगत गारंटर का पता	बी – 74, साउथ सिटी – I, गुरुग्राम, हरियाणा – 122 001 **इसके अलावाः** सी–587, फेस–I, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान – 301019
3.	कॉर्पोरेट देनदार के देनदारों / व्यक्तिगत गारंटरों के संबंध में आदेश और दिवालियापन प्रारंभ तिथि का विवरण	सीपी नं. (आईबी) 73 / 95 / जेपीआर / 2024, आदेश दिनांक 30.10.2026
4.	समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**ऋषभ चंद लोढा** **पंजी. सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-2018/11766 **एएफए वैधः** 31.12.2026 **तक**
5.	बोर्ड के साथ पंजीकृत समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल	ई–5, बसंत विहार, भीलवाड़ा, राजस्थान– 311001 **ईमेलः** rishabhlodha57@gmail.com
6.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	ई–5, बसंत विहार, भीलवाड़ा, राजस्थान– 311001 **ईमेलः** pg.cd.milanagarwal@gmail.com
7.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**21 नवंबर 2026**
8.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है, यहां उपलब्ध हैं:	**"फॉर्म बी"** **वेब लिंकः** https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ ने **सीपी (आईबी) संख्या 73/95/जेपीआर/2024 में दिनांक 30.10.2026** के अपने आदेश के माध्यम से, **श्री मिलन अग्रवाल, देनदार/कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर, अर्थात् प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड** की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

श्री मिलन अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे **21.11.2026** को या उससे पहले अपने दावों को प्रमाण के साथ प्रविष्टि संख्या 6 में उल्लिखित पते पर समाधान प्रोफेशनल के समक्ष प्रस्तुत करें।

लेनदारों को अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता / –
ऋषभ चंद लोढा
पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-2018/11766
श्री मिलन अग्रवाल के समाधान प्रोफेशनल,
पीजी से सीडी, प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड

तिथि : 01 नवंबर 2026
स्थान : भीलवाड़ा

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्यालय गुड़गांव, प्लॉट नंबर 16, इस्कॉन टॉवर, चौथी मंजिल, सेक्टर–32, गुरुग्राम–122003शाखाः झज्जर रोहतक रोड, 103 कंवर सिंह कॉलोनी रोहतक रोड झज्जर हरियाणा 124103

"परिशिष्ट– IV–ए" [नियम 8 (6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2)और 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटरों तथा बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिया गया है, देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित के अनुसार ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बेचा जाएगा। ई–नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री के लिए लाई जाने वाली संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कर्जदार/भागीदारों/मालिकों/गारंटर/बंधककर्ता/निदेशक दृष्टिबंधककर्ता/कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम	अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण	सम्पत्ति आईडी	प्रतिभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि / न्यूनतम वृद्धि खाता	सम्पत्ति और दस्तावेज के निरीक्षण की तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि और समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और	बैंक को ज्ञात संपत्ति पर ऋणभार, यदि कोई हो, का विवरण	क्यूआर कोड
1	1. मैसर्स दानिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (कर्जदार) पताः– गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106 2. श्री संदीप पुत्र श्री बिजेंद्र सिंह (निदेशक और गारंटर) पताः – मका नं. 145 गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106 3. श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री धर्मपाल (निदेशक और गारंटर) पताः – मकान नं. 447 गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106 4. श्रीमती सुमन कुमारी श्रीमती सुरेंद्र कुमार (बंधककर्ता, निदेशक और गारंटर) पताः – मकान नं. 447 गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106 5. श्री देवेंद्र सिंह पुत्र श्री रोहताश (निदेशक और गारंटर) पताः – मकान नं. 145 गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106 6. श्री कंवर सिंह पुत्र श्री तारा चंद (निदेशक और गारंटर) पताः गांव और पीओ बिरोहर, तहसील मातनहेल, जिला झज्जर, हरियाणा 124106	खेवत नंबर 586/491 खतोनी नंबर 609 रेक्ट. नं. 29 किला नं. 17/2(3–11), 24(7–13), रेक्ट नं. 58 किला नं. 20(8– 0), 21 (8–0), 22/1 (2–9) रेक्ट नं. 59 किला नं. 16/2(7–7), 25(8–0), रेक्ट. नं. 62 किला नं. 4/2(2– 13), 5(8–0), 6(8–0), 7/1(5–7) रेक्ट नं. 63 किला नं. 1 (8–0), 9/2(1 –8), 10(8–0), 11/1 (2–0)20(8–0), 22(7–12) में शामिल, वर्ष 2015–16 के लिए 104 कनाल 0 मरला आवेदक का हिस्सा 149/2080 जो 7 कनाल 9 मरला आता है जो ग्राम बिरहोर के राजस्व संपदा में आर. नं. 29 के. संख्या 17/2 और 24 भूमि में 7 कनाल 9 मरला की भूमि पर पट्टा विलेख संख्या 248 दिनांक 16–06–2020 के तहत, ग्राम व पोस्ट बिरोहर, तहसील मातनहेल जिला झज्झर (हरियाणा) पिन–124106, माप 7 कनाल 9 मरला, श्रीमती सुमन कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार के नाम पर इस प्रकार सीमाबद्ध हैः उत्तरः 40 करम/श्री धर्मबीर सिंह पुत्र श्री भगवाना की भूमि दक्षिणः 27 करम/ रोड और ग्राम पंचायत भूमि, पूर्वः 38 करम + 16 करम/ श्री राज पुत्र श्री दलीप पश्चिम की भूमिः 16 करम + 36 करम/ भूमि श्री महाबीर पुत्र श्री ओम प्रकाश की भूमि	IDIB3321438438	रु. 105,29,963.00/– (रुपये एक करोड़ पांच लाख उनतीस हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र) तथा 30.10.2026 से ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उन पर खर्च के साथ।	रु. 1,26,00,000/– रु. 12,60,000/– रु. 25,000– ईएमडी की अन्तिम तिथिः 20.11.2026	12.11.2026 (समय :– सुबह 10.00 बजे 4.00 बजे अप. तक)	20.11.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच प्रत्येक में 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ बिक्री की समाप्ति तक।	मोबाइल नं. प्राधिकृत अधिकारीः गौरव शर्मा संपर्क 9829084448 शाखा प्रबंधकः अजय कुमार, मोबाइल नंबर 8814002122	निल बैंक को ज्ञात नहीं है	

1. संपत्ति के विवरण और संपत्ति की तस्वीर और नीलामी के नियमों और शर्तों के लिए कृपया देखें: https://baanknet.com और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्पडेस्क नंबर 8291220220 से संपर्क करें
2. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https://baanknet.com में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें।

दिनांकः 29.10.2026, स्थान : झज्जर **प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक**

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा
उत्तरी दिल्ली, डीपी ब्लॉक, प्रथम तल,
पीतमपुरा, दिल्ली–110034, ईमेल : cs8292@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत / भौतिक / साँकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिये, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जायेगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रय की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता/गारंटरों का नाम एवं पता, खाता	(क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार राशि (ग) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिग्रहण तिथि (घ) अधिग्रहण की प्रकृति– (सांकेतिक/भौतिक/रचनागत)	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	(क) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) (ख) धराज (ग) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण
1.	एआरएमबी–उत्तरी दिल्ली (829200) 1. श्रीमती प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार **पता 1 :** बी–131, गली नं.–7, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–42 2. संपत्ति सं.–263, भूतल, पॉकेट–04, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 3. संपत्ति सं.–147, प्रथम तल, पॉकेट–09, सेक्टर–22, रोहिणी–110086 **4. मैसर्स ग्रेस इंडिया ट्रैवल (प्रोप्राइटर– श्रीमती प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार,** पता– बी–58/1, पुराना 58/1 भूतल, प्लॉट नं. बी–59, गली नं.–9, शिव मंदिर रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर, दिल्ली–110042)	क) 01.03.2025 ख) रु. 20.49 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार व व्यय, पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक। ग) 07.05.2025 घ) भौतिक अधिग्रहण	**संपत्ति संख्या 263,** क्षेत्रफल 25.90 वर्ग मीटर, पॉकेट–4, सेक्टर–22, रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली–110086 के लेआउट प्लान में स्थित, संपूर्ण भूमि में 1/4 आनुपातिक हिस्से के साथ, छत के अधिकार के बिना संपूर्ण भूतल का निर्मित भाग, सभी फिटिंग्स और फिक्स्चर के साथ, सामान्य सीढ़ी के साथ, **श्रीमती प्रिया पत्नी श्री मनीष कुमार के नाम पर भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ।**	क) रु. 18.20 लाख ख) रु. 1.82 लाख ग) रु. 0.25 लाख	26.11.2026 मध्या. 11:00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	शून्य, ज्ञात नहीं
2.	एआरएमबी–उत्तरी दिल्ली (829200) **मैसर्स आइरोकेम फार्मा एंड रिटेल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड** **मैसर्स आइरोकेम फार्मा एंड रिटेल ट्रेडिंग प्रा. लि.,** पता 1– मकान नं.–213, शाहबाद दौलतपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जिला उत्तरी दिल्ली, दिल्ली–110042; **पता 2–** ए57 टीएफ, ब्लॉक–ए, सेक्टर–8, द्वारका, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110077, श्री मोहित कुमार पुत्र श्री नागेंद्र ओझा (निदेशक), पता– 12/153, दूसरा तल, सेक्टर 16, दिल्ली–110085 **श्री विवेक राजपूत पुत्र श्री रजीत सिंह (निदेशक), पता–** बी–1431, ग्रीन फील्ड्स कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121010 **श्री रविंदर गुप्ता पुत्र श्री सुरेश कुमार (निदेशक), पता–** मकान नं.–सी–322, खसरा नं. 57/23, गली नं. 09, कृष्णा कॉलोनी, प्रहलादपुर बांगर, दिल्ली–110042 **श्री नीलेश कुमार पुत्र श्री बिमल कुमार शाही (गारंटर), पता–** बी–2/41, पॉकेट बी–2, रोहिणी सेक्टर–16, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली–110085	क) 06.06.2026 ख) रु. 466.10 लाख + भावी ब्याज, अन्य प्रभार व व्यय, पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक। ग) 05.09.2026 घ) सांकेतिक अधिग्रहण	संपूर्ण प्रथम तल, कुल निर्मित क्षेत्र 2391 वर्ग फुट, छत के अधिकार के बिना, आगे एवं पीछे की बालकनी के उपयोग के अधिकार के साथ, स्टिल्ट क्षेत्र में दो कार पार्किंग के अधिकार के साथ, सामान्य लिफ्ट के अधिकार के साथ, सामान्य सीढ़ी एवं सामान्य मार्ग का उपयोग करने के संयुक्त अधिकार के साथ, भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ, प्लॉट संख्या 2758 पर निर्मित, क्षेत्रफल 443 वर्ग गज (357.70 वर्ग मीटर), खसरा संख्या 56/6 एवं 56/15 का भाग, आवासीय कॉलोनी ''ग्रीनफील्ड्स'' फरीदाबाद, राजस्व संपदा ग्राम सराय ख्वाजा, तहसील बड़खल एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित। **सीमाएं** :– पूर्व– सड़क 30 फुट चौड़ी, पश्चिम– प्लॉट नं. 2749, उत्तर– प्लॉट नं. 2757, दक्षिण– प्लॉट नं. 2759	क) रु. 206.00 लाख ख) रु. 20.60 लाख ग) रु. 1.00 लाख	03.12.2026 मध्या. 11:00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	शून्य, ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम और शर्तें :

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियां ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेची जा रही हैं। 2. प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण ऊपर दी गई अनुसूची में अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उल्लिखित हैं, लेकिन अधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 3. बिक्री ऊपर उल्लिखित तिथियों पर वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। 4. बिक्री के अधिक विवरण और पूर्ण नियम और शर्तों के लिए, कृपया देखें : https://baanknet.com और www.pnbindia.in, 5. सभी वैधानिक देय/अनुषंगी शुल्क/अन्य देय राशि जिसमें पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे और अधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति (ई–नीलाम) के संबंध में किसी भी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे जो बैंक को ज्ञात नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली के बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। 6. संपर्क विवरण : श्री ललित गुप्ता, मोबाइल नं. 7579083303, 2. श्री आदर्श कुमार, मोबाइल नं. 9023558003

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत सांविधिक विक्रय सूचना

दिनांक : 31–10–2026 **स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक**